अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE

MP CIRCUIT COURT AT INDORE .

R-7031-PBR/16

Revision Petition No. /2016

Date of presentation:

PETITIONER

Viom Networks Limited,

A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its registered office at: D-2, 5th Floor, Southern Park, Saket Place, Saket, New Delhi and local office at: 162, Modi Heights, 2nd Floor, M.P. Nagar, Zone-2, near PF office, Bhopal (M.P.) through its authorized signatory-Shri Devesh Sharma S/o: Shri M C Sharma.

Versus

ONDENT

State of Madhya Pradesh

through Sub-Registrar, Collectorate Office, Moti Tabela, Indore (M.P.)

REVISION PETITION UNDER SECTION 56 OF THE INDIAN STAMPS ACT, 1899

MAY IT PLEASE YOUR HONOUR

Being aggrieved by the impugned order dated 29.10.2015 (**Annexure P/1**) passed by the Court of Collector of Stamps, District Indore-3 in Case No.181/B-105/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

(विओम नेटवर्क लिमिटेड / शासन)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1031 –पीबीआर / 16 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–3–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि टॉवर लगाने हेतु 15 वर्ष के लिये प्रीमियम पर ली गई है एवं 3 वर्ष पश्चात् लायसेंस फीस 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का उल्लेख किया गया है । स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा पटटे पर प्राप्त की गई है और पटटे की भूमि पर अनुसूची एक के अनुच्छेद 33–क(4) के अन्तर्गत औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल के डेढ गुने के बराबर बाजार मूल्य के हस्तान्तरण पर जो मुद्रांक शुल्क देय है वही मुद्रांक शुल्क देय होगा, आवेदक पर रुपये 23077 / – मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में एवं अधिनियम की धारा 40–ख के अन्तर्गत रुपये 2000 / – शास्ति अधिरोपित करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	